

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3801
12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

पश्चिम बंगाल में सीआरसीएफवी और पीएमएमएसवाई

3801. सुश्री सयानी घोष:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल के अध्ययनों की जानकारी है जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि सुंदरबन मुहाना क्षेत्र में बढ़ती लवणता और तापमान मछली प्रजनन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पश्चिम बंगाल में प्रभावित तटीय गाँवों की संख्या कितनी है;

(ख) पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल जल कृषि पद्धतियों को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल तट पर चयनित जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गाँवों (सीआरसीएफवी) की कुल संख्या कितनी है तथा राज्य को कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है; और

(घ) क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तटीय जलवायु अनुकूलन योजनाओं में मत्स्य जैव विविधता संबंधी चिंताओं को शामिल करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ समन्वय में काम कर रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)**

(क) और (ख) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को सुंदरबन के मुहाने क्षेत्र में बढ़ती लवणता और तापमान के कारण मत्स्य प्रजनन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), भारत सरकार के तत्वावधान में मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, जलवायु मापदंडों और मात्स्यिकी के बीच परस्पर क्रियाओं को समझने तथा शमन एवं अनुकूलन रणनीतियाँ विकसित करने के लिए नियमित रूप से अनुसंधान कर रहे हैं। ICAR ने सूचित किया है कि नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर (NICRA) के अंतर्गत किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जलवायु परिवर्तन मात्स्यिकी को प्रभावित कर रहा है और इसका प्रभाव सुंदरबन सहित फिश हैबीटेट्स, मछलियों की फिजियोलॉजी, मत्स्य फैलाव और प्रजनन चक्रों पर पड़ रहा है।

जलवायु चुनौतियों के बीच स्थाई मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, PMMSY के अंतर्गत जल कृषि जैसी जलवायु-अनुकूल आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। क्लाइमेट रेसिलिएंट कोस्टल फिशरमेन विलेजस (CRCFVs) घटक के अंतर्गत, भारत के समुद्र तट के निकट स्थित 100 तटीय मछुआरा गाँवों को क्लाइमेट रेसिलिएंट कोस्टल फिशरमेन विलेजस के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसका उद्देश्य इन गाँवों को आर्थिक रूप से सशक्त और जलवायु परिवर्तन के आलोक में सुदृढ़ बनाना है, जिससे मछुआरों और उनके समुदायों के जीवन में सुधार हो सके। ICAR ने हितधारकों की सहभागिता से दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में तटीय जल कृषि की भेद्यता (वल्नेरेबिलिटी) का आकलन किया है और जल कृषि और अन्य जल कृषि प्रबंधन प्रथाओं के लिए लवणता-सहिष्णु मछलियों के पालन सहित रणनीतियों को अपनाने का पक्ष रखा है। इसके अतिरिक्त, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा देश भर के ICAR संस्थानों के सहयोग से कार्यान्वित जल जीव रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम [नेशनल सरवेलेन्स प्रोग्राम ऑन एक्वाटिक एनिमल डिजीसज़ (NSPAAD)] का उद्देश्य जल कृषि प्रणालियों में जलवायु-जनित रोगों सहित रोग जोखिमों का समाधान करना है।

(ग) और (घ) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से पश्चिम बंगाल के पाँच तटीय मछुआरा गाँवों की पहचान CRCFV के रूप में विकास हेतु की है। ये हैं: (i) अक्षयनगर, (ii) मदनगंज, (iii) डेरा, (iv) दक्षिण कडुआ और (v) तमलिपोरिया - पूर्व मुकुंदपुर (माँ नायकाली मत्स्य खोती)। CRCFV का विकास PMMSY के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के अंतर्गत किया गया है, जिसके लिए प्रति मछुआरा गाँव लागत 200 लाख रुपए है और पूरी लागत (100%) भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। तदनुसार, इन पाँच गाँवों के लिए पश्चिम बंगाल को 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और धनराशि जारी करने के लिए राज्य से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) प्राप्त की जानी है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज (NSCCC) का सदस्य है। यह समिति जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं (SAPCCs) को स्वीकृति देने की प्रक्रिया में शामिल है, जो जल और तटीय क्षेत्रों की जलवायु के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना [नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC)] अनुकूलन रणनीतियों का अभिन्न अंग हैं।
